कार्यालयः— उप वन संरक्षक, योजना, गैर जनजातीय क्षेत्र, राँची,
वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- dcf-pnonta@jharkhandmail.gov.in Phone No. 0651-2482636

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
मुख्यमंत्री जन वन योजना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्सहित कर किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—5965 दिनांक 27.11.2015 द्वारा मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले झारखण्ड राज्य के व्यक्ति, विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियाँ यथा शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, युकलिप्टस, एकसिया के 445 वृक्ष प्रति एकड़ (3मी0 x 3मी0 स्पेसिंग) तथा फलदार प्रजातियाँ यथा कलमी आम, कटहल, अमरूद, आँवला, बेल एवं लीची के 160 वृक्ष प्रति एकड़ (5मी0 x 5मी0 स्पेसिंग) की दर से वृक्षारोपण कर सकते हैं।

लाभुकों द्वारा कराए गए वृक्षारोपण के लिए विभागीय स्वीकृत वनरोपण दर के अनुरूप व्यय राशि का 50 प्रतिशत अंश उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा। लाभुको के लिए इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र एवं अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से विभागीय वेबसाईट forest.jharkhand.gov.in या जन—वन योजना के वेबसाईट janvan.jharkhand.gov.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2018 तक विहित प्रपत्र में अपने जिले में कार्यरत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रादेशिक/ सामाजिक वानिकी/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल के कार्यालय में दिये जा सकेंगे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या—5965 दिनांक 27.11.2015 वेबसाईट http://jharkhandforest.gov.in एवं PRD के वेबसाईट http://prdjharkhand.in में Visit कर download किया जा सकता है।

उप वन संरक्षक,
योजना, गैर जनजातीय क्षेत्र, राँची।